न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 234 सन 2022

अनवान :–

1. महेन्द्र सिह पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. मदन पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
5. हरदत पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. कलावती देवी पुत्री काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
2. इन्द्रा पुत्री काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
3. नीतू पुत्री काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 18/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 43/43 की कुल 4.0480हैक तथा रोही मोजा 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 62/60 की कुल 3.0360हैक भूमि एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 80 की कुल 3.795हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता काशीराम पुत्र उमाराम के नाम से दर्ज थी काशीराम पुत्र उमाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी की बहने है एवं काशीराम पुत्र उमाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादीगण की बहने है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता काशीराम पुत्र उमाराम के नाम से दर्ज थी काशीराम पुत्र उमाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को

Scanned with CamScanner

अपने भाईयो वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 43/43 की कुल 4.0480हैक तथा रोही मोजा 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 62/60 की कुल 3.0360हैक भूमि एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 80 की कुल 3.795हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता काशीराम पुत्र उमाराम के नाम से दर्ज थी काशीराम पुत्र उमाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी की बहने है एवं काशीराम पुत्र उमाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 43/43 की कुल 4.0480हैक तथा रोही मोजा 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 62/60 की कुल 3.0360हैक भूमि एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 80 की कुल 3.795हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता काशीराम पुत्र उमाराम के नाम से दर्ज थी काशीराम पुत्र उमाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज हुई है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 43/43 की कुल 4.0480हैक तथा रोही मोजा 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 62/60 की कुल 3.0360हैक भूमि एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 80 की कुल 3.795हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/40 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. महेन्द्र सिह पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर।
3. मदन पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
5. हरदत पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. कलावती देवी पुत्री काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
2. इन्द्रा पुत्री काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
3. नीतू पुत्री काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुडिया तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 234 सन 2022 निर्णय दिनांक– 18/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 43/43 की कुल 4.0480हैक तथा रोही मोजा 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 62/60 की कुल 3.0360हैक भूमि एव रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 80/75 की कुल 3.795हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक के नाम 1/40 हिस्सा भूमि दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner